संख्या-35/2026/I/1292523/2026/11-4099/70/2025

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 08 अप्रैल, 2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत राजस्व लेखापक्ष में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी-1-5-बजट-सामान्य/2026-27/882/राज्य कर, दिनांक 31.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पंजीकृत व्यापारियों के लिए जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, जी0एस0टी0एन0 से संबंधित व्यय, टैक्स फ्री फिल्मों हेतु देय एस0जी0एस0टी0 के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति, वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों का मरम्मत एवं रखरखाव कार्य एवं वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में संलग्न विवरणानुसार **राजस्व लेखापक्ष** में प्रावधानित धनराशि **रू0 135498.21 लाख (रुपये तेरह अरब चौवन करोड़ अनठानबे लाख इक्कीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. जिस मद में व्यय के संबंध में शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक हो उस पर यथा समय शासन की सहमति प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दिये गये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2040008000300 (वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	01 वेतन	6,43,75,00,000 (रुपये छह अरब तैंतालीस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
2	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	02 मजदूरी	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
3	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	03 मंहगाई भत्ता	4,18,43,75,000 (रुपये चार अरब अठारह करोड़ तैंतालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)
4	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	04 यात्रा व्यय	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
5	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)
6	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	06 अन्य भत्ते	1,80,00,000 (रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र)
7	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	07 मानदेय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
8	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	08 कार्यालय व्यय	9,00,00,000 (रुपये नौ करोड़ मात्र)
9	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	09 विद्युत देय	8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
10	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	10 जलकर / जल प्रभार	1,80,00,000 (रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र)
11	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
12	089	2040008000300	12	4,00,00,000

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

		वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	(रुपये चार करोड़ मात्र)
13	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	13 टेलीफोन पर व्यय	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
14	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	16,00,00,000 (रुपये सोलह करोड़ मात्र)
15	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
16	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	5,50,00,000 (रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र)
17	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	18 प्रकाशन	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
18	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
19	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
20	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	23 गुप्त सेवा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
21	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	29 अनुरक्षण	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
22	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	42 अन्य व्यय	80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
23	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
24	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	45 अवकाश यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
25	089	2040008000300	46	7,50,00,000

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

		वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	(रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)
26	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)
27	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	49 चिकित्सा व्यय	15,00,00,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र)
28	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	51 वर्दी व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
29	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	55 मकान किराया भत्ता	50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र)
30	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
31	089	2040008000300 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-	59 एकमुश्त नियोक्ता अंशदान / नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**12,13,78,75,000 (रुपये बारह अरब तेरह करोड़ अठहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	01 वेतन	7,21,00,000 (रुपये सात करोड़ इक्कीस लाख मात्र)
2	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	02 मजदूरी	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
3	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	03 मंहगाई भत्ता	4,68,65,000 (रुपये चार करोड़ अड़सठ लाख पैंसठ हजार मात्र)
4	089	2040008000600	04	2,00,000

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

		वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	यात्रा व्यय	(रुपये दो लाख मात्र)
5	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
6	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	06 अन्य भत्ते	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
7	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	07 मानदेय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
8	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	08 कार्यालय व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
9	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	09 विद्युत देय	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
10	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	10 जलकर / जल प्रभार	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
11	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
12	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
13	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	13 टेलीफोन पर व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
14	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
15	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
16	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
17	089	2040008000600	18	50,000

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

		वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	प्रकाशन	(रुपये पचास हजार मात्र)
18	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
19	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	29 अनुरक्षण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
20	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	42 अन्य व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
21	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
22	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	45 अवकाश यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
23	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
24	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
25	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	49 चिकित्सा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
26	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	51 वर्दी व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
27	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	55 मकान किराया भत्ता	46,00,000 (रुपये छियालीस लाख मात्र)
28	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
	कुल			**14,49,45,000** **(रुपये चौदह करोड़ उनचास लाख पैंतालीस हजार मात्र)**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष: 2040008000700 (उ.प्र. पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	089	2040008000700 उ.प्र. पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना	42 अन्य व्यय	24,00,00,000 (रुपये चौबीस करोड़ मात्र)
	कुल			**24,00,00,000** **(रुपये चौबीस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2040008000900 (जी0एस0टी0एन0 से संबंधित व्यय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	089	2040008000900 जी0एस0टी0एन0 से संबंधित व्यय	13 टेलीफोन पर व्यय	7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)
2	089	2040008000900 जी0एस0टी0एन0 से संबंधित व्यय	18 प्रकाशन	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	089	2040008000900 जी0एस0टी0एन0 से संबंधित व्यय	42 अन्य व्यय	50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र)
4	089	2040008000900 जी0एस0टी0एन0 से संबंधित व्यय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
5	089	2040008000900 जी0एस0टी0एन0 से संबंधित व्यय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)
6	089	2040008000900 जी0एस0टी0एन0 से संबंधित व्यय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	7,00,00,000 (रुपये सात करोड़ मात्र)
	कुल			**70,70,00,000** **(रुपये सत्तर करोड़ सत्तर लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2043008001300 (टैक्स - फ्री फिल्मों हेतु देय एस.जी.एस.टी. के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

1	089	2043008001300 टैक्स - फ्री फिल्मों हेतु देय एस.जी.एस.टी. के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति	42 अन्य व्यय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
	कुल			**1,000** **(रुपये एक हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2059010510300 (वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	089	2059010510300 वाणिज्य कर विभाग के विभागीय भवन तथा सहायता केन्द्रों के विभागीय भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य	29 अनुरक्षण	20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र)
	कुल			**20,00,00,000** **(रुपये बीस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2216078000300 (वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख - रखाव कार्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	089	2216078000300 वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख - रखाव कार्य	29 अनुरक्षण	12,00,00,000 (रुपये बारह करोड़ मात्र)
	कुल			**12,00,00,000** **(रुपये बारह करोड़ मात्र)**

महायोग	**13,54,98,21,000** **(रुपये तेरह अरब चौवन करोड़ अट्ठानबे लाख इक्कीस हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।